

Telephone
Office : 0484-2351610, 2351493,
2351790



Fax : 91-0484-2370879
E-mail : cifnet@nic.in

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग)
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DEPARTMENT OF FISHERIES)
केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट)
CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & ENGINEERING TRAINING (CIFNET)
फाईन आर्ट्स एवन्यू, कोच्ची- 682 016 | FINE ARTS AVENUE, KOCHI -682 016



फा. सं 1-10/2021 प्रशि

दिनांक 10/2/2022

कार्यालय आदेश

विषय: वी.एन.सी/एम.एफ.सी प्रशिक्षणार्थियों और संस्थानोत्तर प्रशिक्षणार्थियों
के जमानत बंध पत्र/करार का नवीनीकरण

01/3/2021 को हुई समीक्षा बैठक में सिफनेट से उत्तीर्ण होनेवाले वी.एन.सी/एम.एफ.सी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थानोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि संस्थागत तथा संस्थानोत्तर प्रशिक्षणार्थियों के वर्तमान जमानत बंध पत्र का नवीनीकरण किया जाना है और वर्ष 2022 के प्रवेश से लेकर इनको लागू भी किया जाना है।

किसी स्थिर सरकारी कर्मचारी के हाथों शोधन क्षमता प्रमाण पत्र और जमानत प्रमाण पत्र तैयार करवाने की रीति पर रोक लगा दी जाती है, ताकि उम्मीदवारों को शोधन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए स्थिर सरकारी कर्मचारी या तहसिलदार को ढूँढने की ज़रूरत न हो।

वी.एन.सी/एम.एफ.सी प्रशिक्षणार्थी

1. वी.एन.सी/एम.एफ.सी प्रशिक्षणार्थियों के जमानत बंधपत्र की विधिमान्यता दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है, ताकि दो वर्ष के शिल्प पाठ्यक्रम पूरा करने के तुरंत बाद ही उन्हें संस्थानोत्तर प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रतिभूति जमा राशि रु 20,000/- से रु 15,000/- में घटा दी गई है ताकि उत्तीर्ण होनेवाले उम्मीदवार अधिक वित्तीय परेशानी के बिना ही संस्थानोत्तर प्रशिक्षण के लिए दाखिल हो सके।
2. रु 15,000/-की प्रतिभूति जमा राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मियादी जमा के रूप में ही स्वीकार की जाएगी और मियादी जमा के रसीद की मूल प्रति जमानत बंध पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. मियादी जमा दो वर्ष के बदले तीन वर्ष की अवधि की होनी चाहिए।
4. वी.एन.सी/एम.एफ.सी उत्तीर्ण होनेवाले उम्मीदवारों को, सिफनेट द्वारा चलाये जानेवाले संस्थानोत्तर प्रशिक्षण में एक वर्ष के अंदर यदि दाखिला मिले तो अनिवार्यतः उसमें दाखिल होना पड़ेगा। अन्यथा, प्रवेश के समय प्रतिभूति जमा के रूप में अदा की गई जमानत राशि जुर्माना के तौर पर सरकारी लेखा में ज़ब्त कर दी जाएगी। यदि पाठ्यक्रम पूरा करके एक वर्ष के बाद संस्थानोत्तर प्रशिक्षण में दाखिला दिया जा रहा है तो प्रवेश पाने के समय अदा की गई रु 15,000/-की प्रतिभूति जमा, प्रतिधारित रखी जाएगी और शिक्षु फिटर और इंजन कक्ष सहायक/कनिष्ठ डेकहैंड के रूप में संस्थानोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रतिभूति जमा प्रशिक्षार्थियों से इकट्ठा किया जाएगा। या फिर प्रवेश प्राप्त करते समय अदा की गई रु 15,000/-की प्रतिभूति जमा वापस देकर जमा प्रशिक्षार्थियों से नए सिरे से प्रतिभूति इकट्ठा किया जाएगा।

शिक्षु फिटर

जमानत राशि रु.28,500/- की जगह रु.20,000/- में घटा दी गई है और यह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मियादी जमा के रूप में ही स्वीकार की जाएगी और मियादी जमा के रसीद की मूल प्रति जमानत बंध पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इंजन कक्ष सहायक/कनिष्ठ डेकहैन्ड/ग्रीसर (एफ.एस.आइ)

जमानत राशि रु 61,500/- की जगह रु 45,000/- में घटा दी गई है और यह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मियादी जमा के रूप में ही स्वीकार की जाएगी और मियादी जमा के रसीद की मूल प्रति जमानत बंध पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

निदेशक

सेवा में,

1. प्रभारी उप निदेशक, सिफनेट इकाई, चेरै/विशाखपटनम-सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2. अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिकी)-वरिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिकी) के ज़रिए- सिफनेट वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
3. सूचना पट्ट